पत्र संख्या–1/9–स्था0/न्याय/प्रा0–02/2019 .... /प्राधि0

बिहार सरकार,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, पटना–1

राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय प्राप्त किया 20 AUG बिहार, पटना

प्रेषक,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार।

पटना, दिनांक..........................2019

विषयः– "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के प्रावधानों के अनुपालन अन्तर्गत जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखने तथा उनको आपदा जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का पत्रांक–861/आ0नि0को0 दिनांक–30.07.2019 एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक 2508 दिनांक 05.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के प्रावधानों के अनुपालन हेतु जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों का अभिलेख रखने तथा उनको आपदा जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करते हुए अधिनियम की धारा–8 में उल्लेखित विविध प्रावधानों के सम्यक अनुपालन का निदेश सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को संसूचित किया गया है।

प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदन राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही इसकी एक प्रति प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराया जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(साँवर भारती)

सचिव

ज्ञापांक–....2546 A..../आ0प्र0प्रा0 पटना, दिनांक..16.8.19

प्रतिलिपिः–राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–861/आ0नि0को0 दिनांक–30.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव